

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-पंचायत मुख्यालय सिणधरी चारणान

प्रकरण सं.:-20/2017


क्रमांक:-लो.अदा./2017/213

दिनांक:- 31.5.17

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिणधरी व भू.अ.नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम मोतीनगर तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. स. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|---------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | मोतीनगर | 2 | 108,110,111 | अर्जुनदान पुत्र किशनदान | अर्जुनसिंह पुत्र किशनदान <u>शेष बदुस्तर</u> |



31/5/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-

क्रमांक:-लो.अदा./2017/214-216

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अर्जुनसिंह पुत्र किशनदान निवासी मोतीनगर तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


31/5/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी